मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (The Mental Health Act, 1987)

स्वतंत्रता से पहले भारत में 'Indian Lunacy Act 1912' कार्यरत था जो कि उन्माद की अवस्था वाले या मानसिक मन्दता वाले व्यक्तियों एवं छात्र-छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करता था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस अधिनियम में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गयी। इस अधिनियम को 1986 में राज्य सभा ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम एवं लोक सभा द्वारा सन् 1987 में पारित किया गया।

May 1987 में यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचा गया। दुर्भाग्यवश इस विधेयक को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आने में 6 वर्ष का समय लगा। April 1993 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में अनेक अच्छाइयाँ थी लेकिन इसकी अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गयी।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के उद्देश्य एवं कार्य (Functions And Aims of Mental Health Act, 1987)

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य

Important Calls
Things to Do
Meetings

Scanned with CamScanner

मानसिक मन्दता एवं अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों एवं छात्र-छात्राओं की देखभाल करना तथा उनको मानसिक स्वस्थता की ओर ले जाना था। इस अधिनियम में प्रमुख रूप से निम्नलिखित उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों एवं योजनाओं को प्रस्तुत किया गया।

① मनोविकृति चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण (Supervision of Psychiatric Hospitals)

इस अधिनियम के अनुसार केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उन समितियों का गठन किया जायेगा जो कि मनोविकृति सम्बन्धी चिकित्सालयों की देख-रेख करेंगी कि ये चिकित्सालयों को अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहे हैं या नहीं। नहीं की स्थिति में इन चिकित्सालयों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा एवं उनको सुझाव प्रदान किये जायेंगे। इससे इन चिकित्सालयों की कार्य पद्धतियों में सुधार लाया जायेगा।

② मनोविकृति चिकित्सालयों की स्थापना (Established of Psychiatric Hospitals)

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उन मनोविकृति सम्बन्धी चिकित्सालयों एवं सेवा गृहों की

Scanned with CamScanner

की स्थापना करना है जो कि उन मनोविकृति सम्बन्धी रोगियों के बारे में ध्यान रख सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इन अस्पतालों के माध्यम से इन छात्र छात्राओं की मानसिक विकृति में सुधार होगा जो कि विद्यालयों में मानसिक विकृति के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

③ मनोविकृति चिकित्सालयों के लिये अनुज्ञापत्र (License for Psychiatric Hospitals)

इस अधिनियम के अनुसार केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सत्ता सम्पन्न समितियां गठित की जायेगी। जिनके माध्यम से मनोविकृति सम्बन्धी चिकित्सालयों को अनुज्ञापत्र प्रदान किया जायेगा। जो चिकित्सालय अपने नियमों का पालन नहीं करते तथा जिनमें मनोचिकित्सकों के द्वारा अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया जाता है। तो अपने उन चिकित्सालयों का अनुज्ञापत्र समाप्त कर दिया जायेगा। नवीनीकरण के लिये प्रत्येक चिकित्सालय को नियमों एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना होगा।

④ मनोविकृति चिकित्सालयों की कार्यसमीक्षा Work criticism of Psychiatric Hospitals

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings ✓

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उन चिकित्सालयों के कार्यों की समीक्षा करना था जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस आधार पर उनके कार्यों में गुणवत्ता एवं उद्देश्य निष्ठता लाने के सभी प्रयास करना इस अधिनियम का प्रमुख कार्य था। इसके लिए चिकित्सालयों का समय-समय पर आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए समितियों का गठन किया गया।

⑤ मानसिक बीमार व्यक्तियों की देखभाल (Care of Mentally Ill Persons -)

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उन बीमार व्यक्तियों को चिकित्सालयों तक पहुंचाना था जो कि अपनी देखभाल नहीं कर सकते या अपने आपको तथा दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार के रोगियों को इन चिकित्सालयों में पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हों, इस तथ्य को भी इस अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया।

⑥ समाज की सुरक्षा (Security of Society)

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य समाज

Scanned with CamScanner

April 2019
20 Saturday
Wk 16 • 110-255

को उन प्रभावों से मुक्त करना था जो कि मानसिक विकृति से ग्रसित व्यक्तियों द्वारा समाज पर छोड़े जाते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा समाज के सामान्य व्यक्तियों को हानि पहुंचायी जा सकती है। जब वे चिकित्सालयों में रहेंगे तो उनकी देखभाल भली प्रकार से होगी तथा वे उस स्थिति में समाज को हानि नहीं पहुंचायेंगे जब वे स्वस्थ हो जायेंगे तब समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस प्रकार का प्रयास समाज एवं मानसिक मन्द व्यक्ति दोनों के ही हित में होगा।

(7) ~~[illegible]~~ मनोविकृति चिकित्सालयों में प्रवेश (Admission in Psychiatric Hospitals)

अधिनियम के अनुसार इन चिकित्सालयों में प्रवेश की प्रक्रिया सरल होगी। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है उनको इन चिकित्सालयों तक पहुंचाया जायेगा या किसी अभिभावक तथा व्यक्ति द्वारा भी चिकित्सालय में इस प्रकार के मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों को प्रवेश दिलाया जासकेगा। दूसरे शब्दों में इन चिकित्सालयों द्वारा प्रवेश की प्रक्रियाओं को सामान्य बनाते हुए प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार के मानसिक रोगियों को प्रवेश अनिवार्यतः देना होगा।

Important Calls ✓ | Things to Do ✓ | Meetings ✓

Sunday 21